प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती समारोह की तैयारी के संबंध में दिनांक 02.07.2016 को श्री हरमंदिर जी पटना साहिब क्षेत्र का स्थल निरीक्षण टिप्पणी :–

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती समारोह की तैयारी के संबंध में श्री हरमंदिर जी पटना साहिब क्षेत्र का दिनांक 02.07.2016 को स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी, पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, यातायात पुलिस अधीक्षक, पटना, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, सहायक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. बाड़े की गली का निरीक्षण किया गया। बाड़े की गली अत्यंत ही खराब स्थिति में है। नाले के ऊपर पक्कीकरण के साथ ही गली का पी०सी०सी० पक्कीकरण करना भी आवश्यक है। जानकारी प्राप्त हुई कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इस कार्य हेतु लगभग 99.00 करोड़ रूपये (निन्यानवें करोड़ रूपये) का प्राक्कलन तैयार करके पर्यटन विभाग को समर्पित किया गया है। निदेशित किया गया कि पर्यटन विभाग से अनुरोध किया जाय कि शीघ्र प्राक्कलन की स्वीकृति संसूचित करें ताकि ससमय कार्य पूर्ण हो सके। स्थल पर यह भी निर्देश दिया गया कि नाला एवं सड़क का लेवल तथा ग्रेडियस Maintain करते हुए कार्य कराया जाय ताकि जल निकासी की समस्या नहीं हो।

3. गली में घरों के बाहर रास्ते पर सीढ़ी आदि बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि नाला निर्माण के क्रम में सीढ़ी आदि तोड़कर अतिक्रमण को हटाया जाय।

4. बाड़े की गली में बिजली के पोल पर खराब स्ट्रीट लाईट देखी गयी। निर्देश दिया गया कि इस गली में सभी स्ट्रीट लाईट को बदलकर नई लाईट शीघ्र लगायी जाय। पर्यटन विभाग द्वारा बुडको को स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें नये पोल के साथ एल०ई०डी० लाईट अधिष्ठापित करना है और साथ ही उपलब्ध पोल में मात्र एल०ई०डी० लाईट का भी प्रावधान किया गया है। बुडको के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि बाड़े की गली में भी स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जाय।

5. बाड़े की गली में श्री गुरू गोविन्द सिंह बालिका उच्च विद्यालय के बगल में एवं उससे लगभग 50 मीटर आगे भी रास्ते पर बिजली के पोल अवस्थित हैं। स्थल पर उपस्थित पेसू के अभियंता को निर्देश दिया गया कि बिजली को पोल को शीघ्र हटाकर रास्ते के किनारे में स्थापित किया जाय। बिजली के पोल हटाने से रास्ते की चोड़ाई बढ़ेगी।

6. गुरूद्वारे के निकट की गलियों में जगह–जगह पर पेयजल हेतु नल, पिआऊ तथा यूरिनल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। **नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे**।

DK

7. गुरूद्वारा से लगभग 300 मीटर पीछे दरीबाबाज बहादुर की गली में खुले नाले की पानी रास्ते में देखी गयी। निर्देश दिया गया कि यहाँ अंडरग्राउंड नाले का निर्माण शीघ्र कराया जाय। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. दरीबाबाज बहादुर की गली से हरमंदिर गली में प्रवेश बिन्दु पर पाईप लाईन जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण रास्ते पर पानी बह रही है। उपस्थित जन प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पाईप लाईन पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण नाली का पानी भी पाईप में प्रवेश कर जाता है। **निर्देश दिया गया कि हरमंदिर गली, बाड़े की गली और दरीबाबाज बहादुर की गली आदि में पाईप लाईन अधिष्ठापित करने हेतु बिहार राज्य जल पर्षद अविलंब प्राक्कलन बनाकर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेंगे। पाईप लाईन का अधिष्ठापन पी०सी०सी० पथ निर्माण के पूर्व ही कराना सुनिश्चित किया जाय।**

9. हरमंदिर गली में बिजली के पोल पर घरों के कनेक्शन तार को झूलते हुए देखा गया। स्थल पर उपस्थित पेसू के अभियंता को हरमंदिर गली के सभी कनेक्शन तार को एक सप्ताह के अंदर व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया।

10. हरमंदिर गली में दरीबाबाज गली मोड़ पर पी०सी०सी० पथ का निर्माण कराया जा रहा है। स्थल पर उपस्थित जन प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पथ का निर्माण धीमी गति से हो रहा है। स्थल पर उपस्थित सहायक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। सहायक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो।

11. हरमंदिर गली में कुछ घरों के छज्जा रास्ते में बाहर की ओर देखे गये, जो काफी जर्जर स्थिति में है, जिसके गिरने से कभी भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा गली के सभी घरों के छज्जे को 4 दिनों के अंदर तोड़कर हटाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी एवं पुलिस उपाधीक्षक, पटना सिटी को दिया गया। इस कार्य में पटना नगर निगम का सहयोग लिया जाय।

12. हरमंदिर गली से लंगूर गली जाने वाले लिंक पथ में रास्ते पर खटाल देखा गया, जिसके कारण आगे रास्ता बंद है। उपस्थित स्थानीय व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि यह पहले गोराड़ा मार्ग था, जिस पर लगभग 20 वर्ष पहले ही रास्ता पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके खटाल बना दिया गया है। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को निर्देश दिया गया कि जमीन का नक्शा, खतियान आदि की जाँच करके, अतिक्रमण पाये जाने पर एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से हटाया जाय। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम अतिक्रमण हटाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करेंगे।

13. हरमंदिर गली में लिंक पथ पर श्री अजय कुमार सिंह के घर से आगे लगभग 100 मीटर लंबाई में पेयजल पाईप कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। **कार्यपालक पदाधिकारी, पटना जल बोर्ड को निर्देश दिया गया कि 2 दिनों के अंदर इस लिंक पथ में पाईप लाईप बिछाकर सभी घरों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाय।**

14. अशोक राजपथ से कंगन घाट जाने वाले रास्ते में चौक थाना के पास निर्माणाधीन नाला का निरीक्षण किया गया। देखा गया कि नाला के बगल में थाना के बाउंड्री होने के कारण नाला

सीधा नहीं बनाया गया है। सहायक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल को निर्देश दिया गया कि थाना के बाउंड्री को पीछे हटाकर, थाना के बगल से नाला को सीधा बनाया जाय, जिससे रास्ते की चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी।

15. कंगन घाट पर पर्यटन विभाग द्वारा घाट के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। घाट निर्माण हेतु अभी स्थल चिन्हित नहीं हो पाया है। निर्देश दिया गया कि कंगनघाट पी०सी०सी० पथ के end पर बायीं ओर घाट का निर्माण कराने की feasibility देखते हुए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम निर्माण करायें। स्थल पर उपस्थित गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य ने भी घाट निर्माण हेतु इस स्थान को उपयुक्त बताया गया। स्थल पर उपस्थित पर्यटन विभाग के प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे घाट के निर्माण हेतु नक्सा लेकर दिनांक 04.07.2016 को मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित बैठक में उपस्थित होंगे।

16. कंगन घाट पर सारण एवं वैशाली जिले की सीमा की मापी कराकर सीमा क्षेत्र चिन्हित कराने का निर्देश दिया गया। स्थल पर उपस्थित वैशाली एवं सारण जिले के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि वे इस संबंध में जिला पदाधिकारी को अवगत कराएंगे एवं दिनांक 04.07.2016 को मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित बैठक में सारण एवं वैशाली के जिला पदाधिकारी सीमा क्षेत्र का नक्सा आदि लेकर उपस्थित होंगे। दोनों जिलों के जिला पदाधिकारी से अपेक्षा है कि वे एक सप्ताह के अंदर सीमा क्षेत्र को चिन्हित कर लेंगे।

17. कंगन घाट द्वार की चौड़ाई संकीर्ण है, जिसे तोड़कर चौड़ा किये जाने की आवश्यकता है। द्वार की चौड़ाई कम होने के कारण प्रकाशोत्सव के समय लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होगी। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा द्वार को तोड़कर एक बड़ा भव्य द्वार बनाने की आवश्यकता बतायी गयी। स्थल पर उपस्थित गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पर प्रबंधक समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। इस संबंध में दिनांक 04.07.2016 को मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित बैठक में भी चर्चा की जाएगी।

18. तत्पश्चात चौक थाना में जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के साथ बैठक की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि पटना साहिब क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाती है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, पटना सिटी, कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, श्री अशोक कुमार सिंह, सहायक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल एवं श्री संदीप कुमार, सहायक अभियंता, पेसू सदस्य रहेंगे। यह दल पटना साहिब क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने, सफाई व्यवस्था, बिजली के पोल हटाने, स्ट्रीट लाईट एवं अन्य विकासात्मक कार्य हेतु समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

19. बैठक में गुरूद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा बताया गया कि गुरूद्वारा के अंदर CCTV कैमरा एवं कंट्रोल रूम की स्थापना प्रबंधक समिति द्वारा की गयी है। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि बाड़े की गली एवं हरमंदिर गली में कुछ स्थानों पर पर्यटन विभाग द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से CCTV कैमरा लगाने की सूचना प्राप्त हुई है। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि पर्यटन विभाग द्वारा CCTV कैमरा लगाने हेतु 30.00 लाख रूपये (तीस लाख रूपये) की राशि उन्हें उपलब्ध करायी गयी है। इनके द्वारा बताया गया कि जिन स्थानों पर बेल्ट्रॉन द्वारा

CCTV कैमरा नहीं लगाया जा रहा है, उन स्थानों को चिन्हित करके, उनमें उस राशि से CCTV कैमरा लगाया जाय। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा आवश्यकता के आँकलन हेतु आरक्षी उपाधीक्षक, पटना सिटी को निदेशित किया गया।

20. चौक थाना का भवन अत्यंत ही जर्जर स्थिति में देखा गया। चौक थाना के बगल में ही नया थाना भवन का निर्माण बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया गया है, परंतु अभी तक चौक थाना को हस्तांतरित नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसका निर्माण शीघ्र पूर्ण करके चौक थाना को हस्तांतरित करने हेतु बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम को अनुरोध किया जाएगा। थाना भवन की अत्यंत क्षतिग्रस्त स्थिति को देखकर पुलिस उपाधीक्षक, पटना सिटी को तत्काल थाना अन्यत्र Shift करने का सुझाव दिया गया।

21. श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं प्रकाशोत्सव के अवसर पर उपयोग हेतु मोबाईल टॉयलेट किन–किन नगर निकायों में उपलब्ध है, की जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। **इस संबंध में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम अग्रेत्तर कार्रवाई/समन्वय सुनिश्चित करेंगे। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को अलग से मोबाईल टॉयलेट क्रय करने के लिए भी निदेशित किया गया ताकि इस तरह के आयोजनों में उपयोग किया जा सके।**

22. गुरूद्वारा के आसपास के क्षेत्रों के सभी गलियों एवं नालों की मरम्मति/सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को दिया गया। वे इस हेतु नियमित तौर पर स्थल निरीक्षण करके अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। निर्देश दिया गया कि इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई परिलक्षित हो तो वे नगर विकास एवं आवास विभाग को अवगत कराएंगे।

23. श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं प्रकाशोत्सव के अवसर पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के पार्किंग हेतु जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा चिन्हित किये गये बाईपास थाना के निकट स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सहायक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल को पार्किंग स्थल में ससमय कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये।

24. निरीक्षण के क्रम में उपस्थित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं प्रकाशोत्सव हेतु मात्र 05 माह का समय शेष है, इसलिए सभी संबंधित विभाग, सतत् अनुश्रवण करके, गुणवत्तायुक्त कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

3/7/2016

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक— 4303 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 03/7/16

प्रतिलिपि :— माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

3/7/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक— 4303 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 3/7/16

प्रतिलिपि :— मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

3/7/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक— 4303 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 03/7/16

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/वन संरक्षक, वन प्रमंडल, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सहायक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, छपरा/कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल/नूतन राजधानी अंचल/बांकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम/महाप्रबंधक, पेसू, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/संयुक्त महानिदेशक, इरकॉन/महासचिव, तख्य श्री हरमंदिर जी साहिब, पटना सिटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक— 4303 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 03/7/16

प्रतिलिपि :— सभी विशेष सचिव/संबंधित विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/7/2016

प्रधान सचिव